NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-10-2026

विषय सूची

कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में व्यक्त चिंताएँ

आलू की नई जैव-संवर्धित किस्म

NVS-03 मिशन: भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

संक्षिप्त समाचार

- खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद (Hanging Glaciers)
- असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)
- महँगाई भत्ता (DA)
- लड़ाकू विमान
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के गंगा डॉल्फिन संरक्षण प्रयासों को सम्मान
- संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम श्रेणी ज़ायेद-II सम्मान

कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में व्यक्त चिंताएँ

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने यह जानकारी साझा की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कॉलेजियम की बैठक में प्रस्तावित न्यायिक नियुक्तियों पर चर्चा होने से पूर्व ही केंद्र सरकार के साथ उन पर विचार-विमर्श किया हो सकता है। इस खुलासे ने कॉलेजियम प्रणाली के विकास एवं कार्यप्रणाली को लेकर एक नई परिचर्चा कर दी है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 1980 के दशक तक न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न्यायपालिका से परामर्श करने के बाद की जाती थीं।
- कॉलेजियम प्रणाली वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण का निर्णय स्वयं न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है। इस व्यवस्था का संविधान या किसी विशिष्ट वैधानिक प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- इस प्रणाली का विकास सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से हुआ, जिन्हें **तीन न्यायाधीश प्रकरण (Three Judges Cases)** के नाम से जाना जाता है। इन निर्णयों ने न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित की।
- सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) तथा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालय के स्तर पर कॉलेजियम में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 124:** इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 217:** इसके अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात की जाती है।
- **अनुच्छेद 222:** इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- **अनुच्छेद 50:** राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत यह राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया जा सके।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश प्रकरण (1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता होगी तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं होगी।
- **द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण (1993):** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को बदलते हुए निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ सामूहिक रूप से व्यक्त की गई राय को न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता प्राप्त होगी। इसी निर्णय के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई।
- **तृतीय न्यायाधीश प्रकरण (1998):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। इस निर्णय ने वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।

प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) क्या है?

- प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का संकलन है। यह सरकार एवं न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया दस्तावेज है।
  - उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव कॉलेजियम द्वारा प्रारंभ किया जाता है तथा अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाती है।
  - केंद्र सरकार प्रस्तावित नामों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति अथवा असहमति होने पर अनुशंसा को पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम के पास वापस भेज सकती है।
  - हालाँकि, यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा को दोहराता है, तो परंपरागत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जानी चाहिए।
- वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक घोषित किए जाने के पश्चात न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता बढ़ाने के लिए MoP में संशोधन करने का निर्देश दिया था।

- हालाँकि, कई दौर के विचार-विमर्श एवं परामर्श के बावजूद संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की आवश्यकता

- **जवाबदेही में वृद्धि:** नियुक्तियों के आधार एवं कारणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा और निगरानी को संभव बनाता है।
- **जनविश्वास में वृद्धि:** पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति आम जनता के विश्वास को सुदृढ़ करती है।
- **योग्यता-आधारित चयन को बढ़ावा:** इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि नियुक्तियाँ अभ्यर्थियों की योग्यता, सत्यनिष्ठा एवं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर की गई हैं।
- **मनमाने निर्णयों की रोकथाम:** निर्णयों के पीछे के तर्कों को दर्ज करने से व्यक्तिपरक एवं अपारदर्शी निर्णय लेने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।

कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- स्पष्ट वैधानिक ढाँचे का अभाव।
- पात्रता एवं मूल्यांकन के लिए संहिताबद्ध मानदंडों का अभाव।
- विचार-विमर्श एवं निर्णय प्रक्रिया के संबंध में सीमित सार्वजनिक जानकारी।
- स्वतंत्र समीक्षा के लिए किसी औपचारिक तंत्र का अभाव।
- न्यायिक नियुक्तियों में विलंब, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित व्यवस्थाएँ

- न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक विशिष्ट व्यवस्था है, जिसका विश्व के किसी अन्य लोकतांत्रिक देश में समानांतर उदाहरण नहीं मिलता।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA):** संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है तथा सीनेट द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि की जाती है।
- **यूनाइटेड किंगडम (UK):** यहाँ एक स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग कार्यरत है, जिसमें न्यायपालिका, विधि व्यवसाय एवं आम जनता से नियुक्त 15 आयुक्त शामिल होते हैं।
- **दक्षिण अफ्रीका:** यहाँ न्यायिक सेवा आयोग कार्यरत है। इसमें कुल 23 सदस्य होते हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधि व्यवसाय एवं शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

आगे की राह

- न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- कॉलेजियम की अनुशंसाओं के साथ उनके चयन के संक्षिप्त औचित्य एवं कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए, साथ ही वैध रूप से गोपनीय रखी जाने वाली सूचनाओं की गोपनीयता भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

स्रोत: TH

आलू की नई जैव-संवर्धित किस्म

संदर्भ

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (ICAR-CPRI) के वैज्ञानिकों ने 'कुफरी जामुनिया' नामक आलू की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें सामान्य आलू की तुलना में एंथोसायनिन, विटामिन-C तथा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा अधिक है।
  - केंद्र सरकार द्वारा इसे छिपी हुई भूख की समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

परिचय

- पर्याप्त कैलोरी सेवन के बावजूद छिपी हुई भूख एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।
  - यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन तो ग्रहण करता है, लेकिन उसके आहार में आवश्यक विटामिन एवं खनिज तत्त्वों की कमी होती है।
- इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक अधिक पोषण मूल्य वाली जैव-संवर्धित फसलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।
  - जैव-संवर्धन के अंतर्गत पादप प्रजनन तकनीकों के माध्यम से फसलों में पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है, ताकि खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से आवश्यक पोषक तत्त्वों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- ICAR-CPRI ने पोषक तत्त्वों से भरपूर आलू की कई रंगीन किस्में विकसित की हैं, जिनमें कुफरी नीलकंठ, कुफरी माणिक और कुफरी जामुनिया शामिल हैं।
  - कुफरी जामुनिया किस्म को वर्ष 2024 में जारी किया गया था। इस किस्म में कुफरी माणिक एवं कुफरी नीलकंठ की तुलना में एस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन-C), एंथोसायनिन तथा कैरोटीनॉयड की मात्रा अधिक होती है।
  - इसका बैंगनी गूदा उच्च एंटीऑक्सीडेंट मात्रा एवं बेहतर पोषण गुणवत्ता का संकेत देता है। इसमें जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा भी अधिक होती है।

Nutrient (per 100 gm)	Kufri Jamunia	Common Potato
Vitamin C	42.75 mg	23.15 mg
Zinc	2.28 mg	0.28 mg
Iron	3.22 mg	0.57 mg

अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र–दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC)

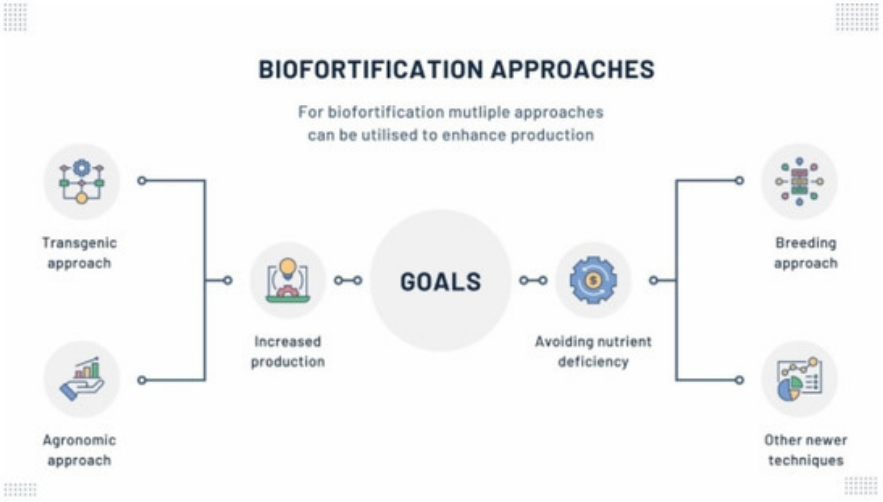
- अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र–दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC) की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा में की गई है।
- यह केंद्र न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान करेगा।
- **उद्देश्य:** आलू एवं शकरकंद की उत्पादकता, कटाई-पश्चात प्रबंधन तथा मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- **शासन व्यवस्था:** इसका संचालन एक समन्वय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के कृषि सचिव शामिल होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP)

- अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) की स्थापना वर्ष 1971 में एक अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख ध्यान आलू, शकरकंद तथा एंडीज क्षेत्र की जड़ एवं कंद वाली फसलों पर है।
- यह संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित नवाचारी समाधान विकसित करता है, ताकि किफायती एवं पौष्टिक भोजन तक पहुँच बढ़ाई जा सके, समावेशी एवं सतत व्यावसायिक गतिविधियों तथा रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन मिले और जड़ एवं कंद आधारित कृषि-खाद्य प्रणालियों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता सुदृढ़ हो।
- **मुख्यालय:** लीमा, पेरू।
- CIP की अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक देशों में अनुसंधान संबंधी गतिविधियाँ संचालित हैं।

जैव-संवर्धित फसलें

- जैव-संवर्धित फसलें वे फसलें हैं, जिन्हें पारंपरिक किस्मों की तुलना में विटामिन, खनिज एवं अमीनो अम्ल जैसे आवश्यक पोषक तत्त्वों की अधिक मात्रा के लिए विशेष रूप से विकसित किया जाता है।
  - इसके लिए पारंपरिक पादप प्रजनन तकनीकों, आनुवंशिक संशोधन अथवा आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग किया जाता है।



- **उद्देश्य:** फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी व्यापक रूप से पाई जाती है।
- उदाहरण के लिए, गोल्डन राइस को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, ताकि उसमें प्रो-विटामिन A (बीटा-कैरोटीन) का उत्पादन अधिक हो सके। इसका उद्देश्य विटामिन-A की कमी को कम करना है।

The biofortified varieties have been licensed to various private seed companies and Farmers Producer Organizations (FPOs)

Sr. No.	Crop	Name of cultivar	No. of licenses
1.	Wheat	DBW 187	229
		DBW 303	204
		DBW 173	54
2.	Rice	DRR Dhan 45	4
		CR Dhan 310	2
3.	Maize	LQMH 1	2
4.	Pearl millet	HHB 299	5
		HHB 311	4
5.	Mustard	Pusa Mustard 30	6
		Pusa Double Zero Mustard 31	3
		Pusa Mustard 32	1
6.	Soybean	NRC 127	4
7.	Potato	Kufri Neekanth	5
		Kufri Manic	1
8.	Pomegrante	Sholapur Lal	7
	Total		**531**

जैव-संवर्धन का महत्त्व

- **कुपोषण उन्मूलन का सतत उपाय:** इसे कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सबसे सतत दृष्टिकोणों में से एक माना जाता है।
- **प्राकृतिक पोषक तत्त्वों की उपलब्धता:** इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में पोषक तत्त्व प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं।
- **किफायती विकल्प:** जैव-संवर्धित खाद्य पदार्थ सामान्यतः उपभोक्ताओं के लिए किफायती होते हैं, क्योंकि इनके उत्पादन में अतिरिक्त प्रसंस्करण लागत आवश्यक नहीं होती।
- **उच्च उत्पादकता:** जैव-संवर्धित किस्में पारंपरिक किस्मों के समान उच्च उपज देने में सक्षम होती हैं। अतः किसानों को उत्पादन के स्तर पर किसी प्रकार की हानि नहीं होती।
- **अतिरिक्त आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं:** खाद्य संवर्धन की तुलना में जैव-संवर्धन के लिए व्यापक प्रसंस्करण एवं आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं होती।
- **अतिरिक्त प्रसंस्करण लागत का अभाव:** पोषक तत्त्वों से समृद्ध खाद्यान्न तैयार करने के लिए अलग से अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती।
- नोट: खाद्य संवर्धन (Food Fortification) वह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान उनमें आवश्यक पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है।

चुनौतियाँ

- **कृषि संबंधी एवं जलवायु संबंधी बाधाएँ:** जैव-संवर्धित किस्मों का प्रदर्शन विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकता है।
- **बाजार प्रोत्साहन का अभाव:** पोषक तत्त्वों से समृद्ध फसलों के लिए किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उनके उत्पादन के प्रति उत्साह कम हो सकता है।
- **मांग का अभाव:** जन-जागरूकता अभियानों की कमी के कारण बाजार में जैव-संवर्धित फसलों की मांग सीमित बनी रहती है।
- **राष्ट्रीय पोषण योजनाओं के साथ कमजोर एकीकरण:** मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में जैव-संवर्धित खाद्यान्नों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है।
- **अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश:** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों (GM Crops) अथवा संकर बीजों की तुलना में जैव-संवर्धन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वित्तीय निवेश किया जाता है।

आगे की राह

- बीज वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ-साथ किसानों तक जागरूकता एवं तकनीकी सहायता की पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जैव-संवर्धित फसलों को सरकारी खाद्य एवं पोषण योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा पोषण संबंधी प्रभावों के आकलन पर अधिक निवेश किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

NVS-03 मिशन: भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

- भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली (NavIC) की कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा NVS-03 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जा रहा है।

भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन प्रणाली (NavIC)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित NavIC भारत की स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे नागरिक एवं सैन्य दोनों प्रकार की नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसे वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था।



  - NavIC को पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के नाम से जाना जाता था।
  - यह भारत के अंदर तथा देश की सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर आगे तक सटीक स्थिति, वेग एवं समय (PVT) संबंधी सेवाएँ प्रदान करती है। यह इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।
  - इस प्रणाली का विकास वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। उस समय कथित तौर पर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा GPS संबंधी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था।
- NavIC को 7 उपग्रहों के समूह तथा 24×7 कार्यरत भू-आधारित केंद्रों के नेटवर्क के साथ विकसित किया गया है।
  - इस उपग्रह समूह के तीन उपग्रह भूस्थिर कक्षा में तथा चार उपग्रह झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं।
- NavIC दो प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है:
  - **मानक स्थिति सेवा (SPS):** नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए।
  - **प्रतिबंधित सेवा (RS):** सामरिक एवं रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए।
  - यह अपने मुख्य सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर स्थान-निर्धारण सटीकता तथा 40 नैनोसेकंड से बेहतर समय-निर्धारण सटीकता प्रदान करता है।
- **नौवहन आवृत्तियाँ:** प्रथम पीढ़ी के उपग्रह L5 तथा S-बैंड आवृत्तियों का उपयोग करते हैं।

NVS शृंखला

- इसमें NavIC की दूसरी पीढ़ी के पाँच उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें NVS-01 से NVS-05 तक नामित किया गया है। इनका उद्देश्य मौजूदा उपग्रह समूह की क्षमताओं को बढ़ाना है।
  - इन उपग्रहों में L1-बैंड संचार सुविधा शामिल की गई है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए NavIC की अनुकूलता एवं उपयोगिता में वृद्धि होती है।
- दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण वर्ष 2023 में किया गया था।
- NVS-01 में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी को अंतरिक्ष में भेजा गया था।
- NVS-02 का प्रक्षेपण जनवरी 2025 में किया गया था।
- दूसरी पीढ़ी के NVS उपग्रहों में कम-से-कम एक स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी स्थापित की गई है।
  - इन परमाणु घड़ियों का विकास ISRO के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) द्वारा किया गया है। इनका उद्देश्य IRNSS की प्रथम पीढ़ी के उपग्रहों में उपयोग की जाने वाली आयातित रुबिडियम परमाणु घड़ियों का स्थान लेना है।

परमाणु घड़ी के बारे में

- परमाणु घड़ी एक अत्यंत सटीक समय-निर्धारण उपकरण है, जो परमाणुओं, विशेषकर सीज़ियम या रुबिडियम परमाणुओं की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति के आधार पर समय को मापता है।
- इसे समय मापन की सबसे सटीक तकनीकों में से एक माना जाता है। यह नैनोसेकंड (एक सेकंड का एक अरबवाँ भाग) तक की सटीकता बनाए रखने में सक्षम है।
- **कार्य सिद्धांत :**
  - जब परमाणु ऊर्जा की विभिन्न अवस्थाओं के बीच संक्रमण करते हैं, तो वे अत्यंत स्थिर एवं पूर्वानुमेय आवृत्तियों पर दोलन करते हैं।
  - परमाणु घड़ी इन आवृत्तियों को मापती है तथा उन्हें मानक समय संकेतों में परिवर्तित करती है।

वर्तमान में NavIC अपेक्षित रूप से कार्य क्यों नहीं कर रहा है?

- **परमाणु घड़ियों की विफलता:** प्रथम पीढ़ी के कई उपग्रहों में स्थापित परमाणु घड़ियों ने कार्य करना बंद कर दिया, जिससे स्थिति-निर्धारण सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपलब्ध उपग्रहों की संख्या में कमी आई।
  - मार्च 2026 में IRNSS-1F उपग्रह में कार्यरत अंतिम परमाणु घड़ी ने भी उपग्रह की निर्धारित 10 वर्ष की मिशन अवधि पूरी होने के बाद काम करना बंद कर दिया।
- **NVS-02 की विफलता:** NVS-02 को सफलतापूर्वक भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसकी प्रणोदन प्रणाली आवश्यक कक्षा-उन्नयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी।
- **परिचालनरत उपग्रहों की अपर्याप्त संख्या:** जुलाई 2026 तक केवल तीन उपग्रह (IRNSS-1B, IRNSS-1I तथा NVS-01) स्थिति-निर्धारण, नौवहन एवं समय संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे थे।
  - बुनियादी स्वतंत्र स्थिति-निर्धारण सेवाओं के लिए कम-से-कम चार परिचालनरत उपग्रहों की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में NavIC की स्वतंत्र स्थिति-निर्धारण क्षमता उपलब्ध नहीं है, हालाँकि इसकी समय-निर्धारण सेवा अभी भी कार्यरत है।

NVS-03 भारत की नौवहन क्षमताओं को किस प्रकार सुदृढ़ करेगा?

- **स्थिति-निर्धारण सेवाओं की पुनर्स्थापना:** NVS-03 के सफलतापूर्वक परिचालन में आने से कार्यरत उपग्रहों की संख्या बढ़कर चार हो जाएगी, जो बुनियादी स्वतंत्र स्थिति-निर्धारण सेवाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या है।
- **अनुकूलता में सुधार:** L1 आवृत्ति के उपयोग से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में NavIC को अपनाने एवं इसके उपयोग की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

अन्य उपग्रह नौवहन प्रणालियाँ

- **GPS :** इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एवं संचालित किया जाता है। यह मुख्यतः मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO) में स्थित उपग्रहों के समूह का उपयोग करता है।
- **GLONASS:** यह रूस की वैश्विक उपग्रह नौवहन प्रणाली है।
- **Galileo:** यह यूरोपीय संघ की स्वतंत्र वैश्विक उपग्रह नौवहन प्रणाली है।
- **BeiDou:** यह चीन की वैश्विक उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जो मध्यम पृथ्वी कक्षा, भूस्थिर कक्षा तथा भू-समकालिक कक्षा में स्थित उपग्रहों के संयोजन का उपयोग करती है।
- **QZSS :** यह जापान की क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे जापान तथा एशिया-ओशिनिया क्षेत्र में GPS की पूरक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद (Hanging Glaciers)

संदर्भ

- एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि बद्रीनाथ के ऊपर स्थित खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनदों (Hanging Glaciers) के ढहने से बड़े पैमाने पर हिमस्खलन हो सकता है, जिससे हिमालयी तीर्थस्थल बद्रीनाथ के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद (Hanging Glaciers) क्या हैं?

- ये बर्फ के ऐसे विशाल पिंड होते हैं, जो पर्वतों की तीव्र ढलानों पर स्थित होते हैं। ये प्रायः घाटी के तल तक विस्तारित होने के बजाय आधारशिला की खड़ी चट्टानों के पास अचानक समाप्त हो जाते हैं।
- इनके विखंडित होकर अलग होने अथवा ढलान से खिसकने के कारण हिमस्खलन हो सकता है, जिससे कम समय में भारी मात्रा में बर्फ, जल एवं मलबा नीचे की ओर आ सकता है।

हिमनदीय स्थलरूप



क्या आप जानते हैं? (Do You Know?)

- बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 3,415 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय तीर्थस्थलों में से एक है। वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ लगभग 17 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

स्रोत: IE

असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

संदर्भ

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है।

परिचय

- **वैधानिक आधार:** इस बोर्ड का गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत किया गया है। यह संहिता असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- **संरचना:** बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा की जाएगी। इसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल होंगे:
  - केंद्र एवं राज्य सरकारें।
  - एग्रीगेटर कंपनियाँ एवं नियोक्ता।
  - नागरिक समाज संगठन एवं श्रमिक संघ।
  - गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन।
- बोर्ड की बैठक वर्ष में कम-से-कम तीन बार आयोजित की जाएगी तथा इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:
  - असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ तैयार करने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करना।
  - इस संहिता के प्रशासन से संबंधित ऐसे विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना, जिन्हें सरकार द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
  - केंद्र सरकार द्वारा संचालित श्रमिकों से संबंधित सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना।
  - निधि एवं लेखा से किए गए व्यय की समीक्षा करना।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान

- **धारा 6:** असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य स्तर पर असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान करती है।
- **धारा 113:** असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।
- **धारा 114:** केंद्र सरकार को गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने का अधिकार प्रदान करती है:
  - जीवन एवं दिव्यांगता बीमा।
  - दुर्घटना बीमा।
  - स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ।
  - वृद्धावस्था सुरक्षा।
  - शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच) की सुविधाएँ।

स्रोत: PIB

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)

चर्चा में क्यों?

- 13वीं ADMM-Plus बैठक को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त सैन्य अभ्यासों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से अपना परिचालन अनुभव साझा करेगा। साथ ही, उन्होंने आसियान देशों के साथ एक समर्पित रक्षा 'यूथ ब्रिज' स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना वर्ष 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान घोषणा-पत्र , जिसे बैंकॉक घोषणा भी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड थे।
  - ब्रुनेई दारुस्सलाम वर्ष 1984 में आसियान में शामिल हुआ। इसके बाद वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस एवं म्यांमार वर्ष 1997 में तथा कंबोडिया वर्ष 1999 में शामिल हुए। वर्ष 2025 में तिमोर-लेस्ते इसका 11वाँ सदस्य बना।
- **आदर्श वाक्य :** "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय"।

- **अधिदेश :** आसियान का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- **उद्देश्य :**
  - आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - कृषि, उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देना।
  - परिवहन एवं संचार सुविधाओं में सुधार करना।
  - शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में पारस्परिक सहायता प्रदान करना।
  - लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- **आर्थिक अवसर:** आसियान भारतीय वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश के लिए एक प्रमुख बाजार उपलब्ध कराता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति :** दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों में आसियान एक केंद्रीय स्तंभ की भूमिका निभाता है।
- **हिंद-प्रशांत रणनीति :** यह स्वतंत्र, खुले, समावेशी एवं नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था:** क्षेत्रीय संपर्क में सुधार से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** सहयोग से नौवहन की स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** वियतनाम जैसे देशों के साथ सहयोग से भारत को अपनी ऊर्जा साझेदारियों में विविधता लाने में सहायता मिलती है।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)

- ADMM आसियान के अंतर्गत रक्षा संबंधी परामर्श एवं सहयोग का सर्वोच्च तंत्र है।
- ADMM-Plus आसियान सदस्य देशों तथा उनके आठ संवाद साझेदारों के बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने का एक मंच है।
- **आसियान के 11 सदस्य देश:** ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते एवं वियतनाम।
- **आठ संवाद साझेदार :** भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड।
  - वर्ष 2026 के लिए ADMM-Plus की अध्यक्षता फिलीपींस कर रहा है।

भारत की स्थिति

- भारत वर्ष 1992 में आसियान का संवाद साझेदार बना था।
- ADMM-Plus की प्रथम बैठक 12 अक्टूबर, 2010 को वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित की गई थी।
- ADMM-Plus के विभिन्न तंत्रों में भारत की सक्रिय भागीदारी, एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति को दर्शाती है।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं सामूहिक विकास सुनिश्चित करना है।

स्रोत: TH

महँगाई भत्ता (DA)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महँगाई भत्ते (DA) तथा पेंशनभोगियों के लिए महँगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत मूल वेतन/पेंशन के 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसकी दर बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है, ताकि बढ़ती कीमतों के प्रभाव की भरपाई की जा सके।

महँगाई भत्ता (DA)

- यह सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला एक भत्ता है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति एवं जीवन-यापन की बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करना है। बढ़ती महँगाई के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली कमी की भरपाई के लिए इसे दिया जाता है।
  - इसमें सामान्यतः वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है।
- इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के वर्तमान मासिक आँकड़ों के आधार पर की जाती है।
- **गणना :** सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना के अंतर्गत महँगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
  - इसकी गणना में मकान किराया भत्ता (HRA) अथवा परिवहन भत्ता जैसे वेतन के अन्य घटकों को शामिल नहीं किया जाता है।
  - **महँगाई भत्ता गणना का सूत्र :** महँगाई भत्ते की राशि = मूल वेतन × (महँगाई भत्ते की दर ÷ 100)

स्रोत: TH

लड़ाकू विमान

संदर्भ

- रक्षा मंत्री ने अमेरिकी युद्ध सचिव के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए वाशिंगटन द्वारा प्रदान किए जा रहे सहायता पैकेज को लेकर भारत की चिंताओं को व्यक्त किया।

लड़ाकू विमानों की विभिन्न पीढ़ियाँ

- **प्रथम पीढ़ी (1940–1950 का दशक):** इस प्रारंभिक दौर के जेट विमानों में रडार की सुविधा नहीं थी। ये मुख्य रूप से मशीनगनों एवं बिना निर्देशित रॉकेटों पर निर्भर थे तथा इनकी गति एवं परिचालन ऊँचाई अपेक्षाकृत सीमित थी।
  - इस पीढ़ी के प्रमुख विमानों में F-86 सेबर (अमेरिका), MiG-15 (सोवियत संघ) तथा ग्लॉस्टर मीटियर (ब्रिटेन) शामिल हैं।
- **द्वितीय पीढ़ी (1950–1960 का दशक):** इस पीढ़ी के लड़ाकू विमान ध्वनि की गति से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम हुए तथा इनमें प्रारंभिक रडार प्रणालियाँ स्थापित की गईं। वायु-से-वायु में मार करने वाली मिसाइल तकनीक का विकास हुआ, जिसने हवाई युद्ध की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन किया।
  - इस पीढ़ी के प्रमुख विमानों में MiG-21 (सोवियत संघ), F-104 स्टारफाइटर (अमेरिका) तथा मिराज-III (फ्रांस) शामिल हैं।
- **तृतीय पीढ़ी (1970–1980 का दशक):** इस पीढ़ी के लड़ाकू विमान अधिक बहुउद्देशीय एवं बहुमुखी हो गए। ये हवा-से-हवा तथा वायु-से-सतह दोनों प्रकार के सैन्य अभियानों को संचालित करने में सक्षम थे।
  - इस अवधि के प्रमुख विमानों में F-4 फैंटम-II (अमेरिका), MiG-23 (सोवियत संघ) तथा SEPECAT जगुआर (ब्रिटेन/फ्रांस) शामिल हैं।
- **साढ़े तीनवीं पीढ़ी (1980–1990 का दशक):** इस चरण में वर्तमान लड़ाकू विमानों को उन्नत रडार, बेहतर कॉकपिट डिस्प्ले तथा दृश्य सीमा से परे मार करने वाली मिसाइलों की सीमित क्षमताओं से सुसज्जित किया गया।
  - इसके प्रमुख उदाहरणों में MiG-23MLD (सोवियत संघ), F-5E टाइगर-II (अमेरिका) तथा MiG-21 बाइसन (भारत) शामिल हैं।
- **चतुर्थ पीढ़ी (1990 के दशक से वर्तमान तक):** इस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संचालन में डिजिटल प्रणालियों एवं नेटवर्क-केंद्रित वॉरफेयर की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई। इनमें बहु-भूमिका क्षमता तथा सटीक लक्ष्य भेदन प्रणालियाँ विकसित की गईं।
  - प्रमुख उदाहरणों में मिराज-2000 (फ्रांस), F/A-18 हॉर्नेट (अमेरिका) तथा HAL तेजस Mk1 (भारत) शामिल हैं।
- **साढ़े चारवीं पीढ़ी :** इस पीढ़ी के विमानों में सेंसर फ्यूजन (विभिन्न सेंसरों से प्राप्त सूचनाओं का एकीकरण), उन्नत रडार प्रणालियों तथा आंशिक स्टील्थ क्षमताओं जैसी तकनीकों का समावेश किया गया है।
  - प्रमुख उदाहरणों में डसॉल्ट राफेल (फ्रांस), F-16 ब्लॉक 50/52+ (अमेरिका) तथा HAL तेजस Mk1A (भारत) शामिल हैं।
- **पाँचवीं पीढ़ी :** इन विमानों का विकास मुख्य रूप से स्टील्थ तकनीक (रडार से बचने की क्षमता), एकीकृत एवियोनिक्स तथा नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इनमें सुपरक्रूज़ (बिना आफ्टरबर्नर के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान), उन्नत सेंसर प्रणाली तथा रडार संकेतों को कम करने के लिए आंतरिक हथियार कक्ष जैसी विशेषताएँ होती हैं।
  - प्रमुख विमानों में F-22 रैप्टर एवं F-35 लाइटनिंग-II (अमेरिका), Su-57 (रूस), J-20 (चीन) तथा भारत का प्रस्तावित HAL AMCA शामिल हैं।

स्रोत: TH

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के गंगा डॉल्फिन संरक्षण प्रयासों को सम्मान

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण एवं पुनर्स्थापित करने के लिए भारत के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र की 35 विश्व पुनर्बहाली प्रमुख पहलों में शामिल किया है।

गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) के बारे में

- **विशेषताएँ :**
  - गंगा नदी डॉल्फिन मूलतः दृष्टिहीन होती है तथा मछलियों एवं अन्य शिकार का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है। इन तरंगों के शिकार से टकराकर वापस आने के आधार पर यह इकोलोकेशन तकनीक से अपने शिकार का पता लगाती है।
  - साँस लेते समय उत्पन्न होने वाली विशिष्ट ध्वनि के कारण इसे लोकप्रिय रूप से 'सुसु' कहा जाता है।
- **वितरण :** यह भारत, नेपाल एवं बांग्लादेश के गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पाई जाती है।
  - यह केवल स्वच्छ जल में ही जीवित रह सकती है।

- **खतरे :**
  - जल विकास परियोजनाएँ।
  - जल प्रदूषण।
  - अवैध शिकार।
  - मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक रूप से फँसने के कारण मृत्यु।
- **संरक्षण स्थिति :**
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **अनुसूची-I** के अंतर्गत संरक्षित।
  - संकटापन्न वन्य जीव एवं वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के **परिशिष्ट-I** में शामिल।
  - प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS) के **परिशिष्ट-I** में शामिल।
  - **IUCN स्थिति:** संकटग्रस्त।
- **राष्ट्रीय एवं राज्य जलीय जीव:**
  - वर्ष 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
  - यह असम का राज्य जलीय जीव भी है।

भारत की संरक्षण संबंधी पहलें

- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2020):** इसका उद्देश्य नदी एवं समुद्री डॉल्फिन दोनों का संरक्षण करना है।
- **संरक्षण कार्ययोजना (2022–2047):** यह डॉल्फिन संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना प्रदान करती है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** निगरानी, बचाव एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **नदी पुनर्स्थापना :** प्रदूषण को कम करना, नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखना तथा डॉल्फिन के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना।

सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में भी जानें (प्लैटनिस्टा माइनर)

- **विशेषताएँ :** सिंधु नदी डॉल्फिन भी कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन होती है तथा दिशा निर्धारण एवं शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन तकनीक पर निर्भर रहती है।
  - इसे स्थानीय भाषाओं में सामान्यतः 'भुलन' कहा जाता है।
- **वितरण :** यह पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र में पाई जाती है।
  - भारत में इसकी एक छोटी जनसंख्या ब्यास नदी में भी पाई जाती है।
- **खतरे :** जल अपवर्तन एवं जल मोड़ने वाली परियोजनाओं के कारण इसके प्राकृतिक आवास का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया है।
  - इसके परिणामस्वरूप इसकी जनसंख्या नदी के कुछ अलग-अलग हिस्सों तक सीमित हो गई है।
- **संरक्षण स्थिति :** भारत में भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित।
  - CITES के परिशिष्ट-I में शामिल।
  - CMS के परिशिष्ट-I में शामिल।
  - **IUCN स्थिति:** संकटग्रस्त (Endangered)।
- **राज्य जलीय जीव :** सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का राज्य जलीय जीव है।

स्रोत: IE

संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम श्रेणी ज़ायेद-II सम्मान

चर्चा में क्यों?

- भारतीय मूल के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर तथा फ्लाईदुबई के उनके अन्य चालक दल के सदस्यों को उड़ान FZ1073 के कॉकपिट में हुए हमले के दौरान उनके साहस एवं व्यावसायिक दक्षता के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा प्रथम श्रेणी ज़ायेद-II सम्मान प्रदान किया गया।

प्रथम श्रेणी ज़ायेद-II सम्मान के बारे में

- यह संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, जिसे असाधारण सार्वजनिक सेवा, राजनयिक उपलब्धियों एवं साहसिक कार्यों के लिए विदेशी राजनयिकों, अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य उल्लेखनीय हस्तियों को प्रदान किया जाता है।
- इस सम्मान की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति शेख ज़ायेद बिन सुल्तान अल नाहयान की स्मृति में की गई थी।

पूर्व सम्मान प्राप्तकर्ता

- कैप्टन स्मित मच्छार इस सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय हैं।
- भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सिंह सूरी (2019) तथा संजय सुधीर (2025) को भी उनके राजनयिक योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है।

स्रोत: IE

■■■